भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4091

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पश्चिम बंगाल में नदी तट का अपरदन

4091. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मुर्शिदाबाद शहर गंगा और पद्मा नदियों की बाढ़ और नदी तट के अपरदन से चिरस्थायी रूप से प्रभावित रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त नदी तट के अपरदन को आपदा के रूप में मान्यता देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि बाढ़ वर्ष में दो या तीन बार आती है और चली जाती है परन्तु अपरदन वस्तुत: कृषि योग्य भूमि के बड़े क्षेत्र को बर्बाद कर देता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभवना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भूमि अपरदन के कारण पश्चिम बंगाल में कई हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) पश्चिम बंगाल में कृषि योग्य भूमि अपरदन को रोकने के लिए प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (च): देश, पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले सहित विभिन्न भागों में अलग अलग मात्राओं में बाढ़ और कटाव की समस्या का सामना कर रहा है। कटाव, गति एवं गाद का जमाव नदी की एक प्राकृतिक विनियामक प्रक्रिया हैं। नदियाँ बहाव के साथ गाद की मात्रा और जमा किए गए गाद के मध्य संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायतार्थ अपेक्षित लॉजिसटिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें, बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार के अनुमोदित मानकों के अनुसार, इसके निपटान हेतु पूर्वनिर्धारित राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदा

की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन शामिल है, के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आईआईटी रूड़की के माध्यम से वर्ष 1970-2010 की अवधि के लिए सुदूर संवेदन तकनीकों का उपयोग करते हुए गंगा नदी का आकृति-संबंधी अध्ययन किया गया है, जिसमें मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज के अपस्ट्रीम में 428932 हेक्टेयर का कटाव और 50 किमी के क्षेत्र में 724 हेक्टेयर का निक्षेपण दर्शाया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों के सदस्यों को शामिल कर एक समिति का गठन किया गया है ताकि पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले में गंगा-पद्मा नदी द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना के तहत संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) का कार्यान्वयन किया गया था ताकि नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। इस कार्यक्रम को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रखा गया तथा इसे आगे वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है । एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत इसकी शुरुआत के बाद से, पश्चिम बंगाल राज्य को 1051.96 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

*****